



उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1944
(21 सितम्बर, 2022)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')

2-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 424/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-183-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(236)-2022, दिनांक 09 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

3-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 461/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-184-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(237)-2022, दिनांक 20 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 620/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-188-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(238)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 621/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-189-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(239)-2022, दिनांक 18 जुलाई,

2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 622/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-190-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(240)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 623/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-191-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(241)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 624/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-192-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(242)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 625/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-193-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(243)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

10-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 626/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-194-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(244)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

11-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 627/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-195-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(245)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

12-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 628/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-196-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(246)-2022, दिनांक 18 जुलाई,

2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

13-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 629/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-197-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(247)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

14-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 630/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-198-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(248)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

15-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 596/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-187-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(249)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

16-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 594/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-185-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(250)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

17-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 595/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-186-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(251)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

18-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 716/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-199-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(252)-2022, दिनांक 24 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

19-मुख्य मंत्री, पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1682/33-2-2022-72जी-87टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला

पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237(3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

20-उप मुख्य मंत्री, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन संख्या-16/2005 दिनांक 22 जुलाई, 2005 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

21-वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-1 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

22-लोक निर्माण मंत्री, उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2019 (उप लो0आ0) दिनांक 18 जुलाई, 2019 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

23-समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01/2010 दिनांक 08 जनवरी, 2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

24-नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 को उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

25-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 11/2022/526/तीस-4-2022-17(सा0)-2018, दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर यान (अट्टाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-212 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

26-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य विधान परिषद् एवं सर्वश्री (डा०) संजय लाठर, बलराम यादव, (डा०) राजपाल कश्यप व श्री अरविन्द कुमार सिंह, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम में मृतक आश्रितों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य विधान परिषद् एवं श्री दिनेश चन्द्रा व श्री अतर सिंह राव, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-मुख्य मंत्री, प्रदेश में राशन कार्ड वापसी के लिये चलाये जा रहे अभियान के नाम पर अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड धारकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य विधान परिषद् एवं श्री अतर सिंह राव व श्री दिनेश चन्द्रा, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-रफियाबाद, विकास खण्ड-मझगावां, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सी०सी० सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

30-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-विछुरैया, विकास खण्ड-आलमपुर जाफराबाद, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से श्मशान की चहारदीवारी व कमरे का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

31-इंजी० अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-पिपरी मतकरपुर,

पोस्ट-ठाठर, विकास खण्ड-आसपुर देवसरा, जनपद-प्रतापगढ़ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

32-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-भीट, विकास खण्ड-गौरा, जनपद-प्रतापगढ़ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

33-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-ज्ञानपुर, विकास खण्ड-फूलबेहड़, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

34-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बरखेरा खुर्द, ग्राम पंचायत-देहरा अजीतपुर, विकास खण्ड-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से बड़ी पुलिया का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

35-श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-माढ़रमऊ कला व हसनपुर खेवली, विकास खण्ड-गोसाईगंज, तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सुल्तानपुर मार्ग से हसनपुर खेवली जाने वाली सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

36-श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-माढ़रमऊ कला, विकास खण्ड-गोसाईगंज, तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से चक

गजरिया से माढ़रमऊ कला जाने वाली सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

37-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-अकबरपुर दौलतपुर, विकास खण्ड-भर्थना, जनपद-इटावा के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

38-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कर्वा बुजुर्ग, ब्लाक-महेवा, जनपद-इटावा के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ट')

39-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत अंजनी माता मन्दिर, उन्नाव गेट से हाई-वे रोड, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ठ')

40-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-खडौबा, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से विवाह घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

41-श्री श्रीचन्द शर्मा, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-सरांय जोगा, विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-उन्नाव के निवासियों की ओर से नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ढ')

42-श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-मोहम्मदपुर, विकास खण्ड-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ण')

43-श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत बौद्ध मन्दिर, छोटी जुगौली, गौतमपुरी, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से पानी की पाइप लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'त')

44-डा० मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-इंगवारा, विकास खण्ड-राजपुर, तहसील-सिकन्दरा, जनपद-कानपुर देहात के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'थ')

45-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-इन्देमऊ, ब्लाक-बीघापुर, जनपद-उन्नाव के निवासियों की ओर से राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'द')

46-श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत न्यू नदी विहार कॉलोनी, सराय शेख, चिनहट, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ध')

47-श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत मोहल्ला-जरौली फेस-2 (निकट

सुबेदार स्कूल), जनपद-कानपुर नगर के निवासियों की ओर से 05 विद्युत पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'न')

48-श्री विक्रान्त सिंह उर्फ रिशु, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत अशरफ नगर, परगना-बिजनौर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से हाईटेंशन लाइन हटवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'प')

लखनऊ :
बुधवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1944
(21 सितम्बर, 2022)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

21 सितम्बर, 2022

विधान परिषद् के द्वितीय सत्र (2022) का प्रथम बुधवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
*1	26-7-2022
*2	26-7-2022
*3	26-7-2022
*4	26-7-2022
*5	7-9-2022
*6	7-9-2022
*7	7-9-2022
*8	7-9-2022
*9	7-9-2022
*10	7-9-2022
*11	7-9-2022



प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
अतारांकित प्रश्न	
1	26-7-2022
2	26-7-2022
3	26-7-2022
4	29-7-2022
5	29-7-2022
6	29-7-2022
7	7-9-2022
8	7-9-2022
9	8-9-2022

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर, सन् 2022 ई0

तारांकित प्रश्न

परिवहन विभाग में शासनादेश की व्यवस्थाओं में शिथिलीकरण कराकर कोरोना काल में मृत कार्मिकों के परिजनों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव

1

*1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि परिवहन विभाग में शासनादेश की व्यवस्थाओं में शिथिलीकरण कराकर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करते हुये पूर्व में किस-किस तिथि में नियुक्तियां की गयी हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या लाल बिहारी यादव, नेता विरोधी दल, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 जून, 2022 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र/कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0, परिवहन विभाग, आजमगढ़ डिपो के पत्रांक-900/आजम/स0क्षे0प0/स्था0 2021, दिनांक 16 जुलाई, 2021 के माध्यम से कोरोना काल में मृत कार्मिकों के परिजनों को नियुक्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ?

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में इंगित व्यक्तियों को शासनादेश की व्यवस्थाओं में शिथिलीकरण कराकर नियुक्ति प्रदान करा दी गयी है ?

(घ) यदि नहीं, तो कब तक पूर्व की भांति शासनादेश में शिथिलीकरण कर कोरोना काल में मृत कार्मिकों के परिजनों को मानवीय आधार पर मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करा दी जायेगी ?

जनपद-रायबरेली की तहसील ऊंचाहार में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा लिये गये गोदामों के किराये का भुगतान करने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर

2

*2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-रायबरेली में खाद्य रसद विभाग द्वारा भण्डारण के लिये कितने गोदाम किराये पर लिये गये हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या किराये पर लिये गये गोदामों के किराये का भुगतान समय से किया जा रहा है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या जनपद-रायबरेली की तहसील-ऊंचाहार में खाद्य रसद विभाग द्वारा लिये गये गोदामों के किराये का भुगतान वर्ष 2016 से नहीं किया गया है ?

(ङ) क्या किराये पर लिये गये गोदामों के किराये का भुगतान खाद्य रसद अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या - 21/2018/346/29-03-2018- जी- 26/2002, दिनांक 02 मई, 2018 के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर शीघ्र कराये जाने के आदेश निर्गत करायेंगे ?

(च) यदि हां, तो कब तक ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

किसानों के धान विक्रय की सुविधा हेतु कोई नई योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा

3

*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि किसानों के धान क्रय करने हेतु दिन-प्रतिदिन कई नियम क्यों बदल जाते हैं, कभी उन्हें टोकन लेने के लिये कहा जाता है, जबकि कभी टोकन प्रणाली खत्म कर दी जाती है ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये किसानों के धान विक्रय की सुविधा हेतु कोई नई योजना है ?

(ग) यदि हां, तो क्या ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-कौशाम्बी में बालू घाटों पर अवैध बालू खनन एवं ओवर लोडिंग रोकने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी
4

*4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कौशाम्बी में कितने बालू घाटों पर कहां-कहां खनन के पट्टे किन-किन को स्वीकृत किये गये हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) किन-किन घाटों पर अवैध बालू खनन एवं ओवर लोडिंग की जांच के दौरान अनियमितता पायी गयी है ?

(ग) उक्त जांच निष्कर्षों के आधार पर किन-किन पट्टाधारकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

(घ) अवैध बालू खनन एवं ओवर लोडिंग रोकने हेतु क्या कार्य योजना है ?

जनपद-बलिया के रसड़ा से वाया कसिमाबाद-वाराणसी तक बस सेवा शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
5

*5-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-बलिया के रसड़ा से वाया कसिमाबाद-वाराणसी के लिये बस चलती थी, जिसे बन्द कर दिया गया है ?

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो उक्त बस सेवा शुरू करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-फतेहपुर के रानीपुर एवं सलेमपुर में बालू खनन, ओवर लोडिंग एवं अवैध बालू भण्डारण करने वाले पट्टाधारकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी
6

*6-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-फतेहपुर के रानीपुर एवं सलेमपुर में बालू खनन, ओवर लोडिंग एवं अवैध बालू भण्डारण का कार्य पट्टाधारकों द्वारा किया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या टीम गठित करके उच्च स्तरीय जांच कराते हुये अवैध बालू खनन में संलिप्त रानीपुर एवं सलेमपुर में बालू घाट के पट्टाधारकों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जिला कारागार वाराणसी में अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
7

*7-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि जिला कारागार वाराणसी में अस्पताल का निर्माण कार्य लम्बित है ?

कारागार राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य के लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?

(ग) उक्त अस्पताल कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

डा० मान सिंह यादव
8

*8-[मा० मंत्री जी के अनुरोध पर निरस्त]

जनपद-कौशाम्बी में बस डिपो को शीघ्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी
9

*9-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कौशाम्बी के बस डिपो का लोकार्पण कब किया गया है ?

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) लोकार्पण के लगभग आठ माह की अवधि बीत जाने के बावजूद उक्त बस डिपो के अद्यतन संचालित न हो पाने के क्या कारण हैं ?

(ग) उक्त बस डिपो सुचारु रूप से कब तक संचालित करायेंगे ?

प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों का जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर
10

*10-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के पंजीकरण किये जाते हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन
मंत्री

(ख) यदि हां, तो जनपदवार कितने श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है, उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या उन सभी श्रमिकों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड बनाने की कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**प्रदेश के विभिन्न जेलों में बन्द 80 वर्ष से अधिक उम्र के
आजीवन सजा काट रहे कैदियों को छोड़े जाने का
शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर
11

*11-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 की विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे कुछ कैदियों की उम्र 80 वर्ष से ऊपर है ?

कारागार राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो जनपदवार व जेलवार उनकी संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके सजायापता व विचाराधीन कैदियों को जेल से छोड़े जाने हेतु शासनादेश जारी करेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव
1

1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के अन्दर परिवहन निगम द्वारा संचालित जर्जर बसों को बदल कर नई बसों को सम्मिलित करायेंगे ?

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द्र शर्मा
2

2-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़, ब्लाक-सण्डवा चन्द्रिका क्षेत्रान्तर्गत गौराडाढ़ से प्रतापगढ़ होते हुये प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश परिवहन की बस सेवा का संचालन हो रहा है ?

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि नहीं, तो क्या जनहित को देखते हुये गौराडाढ़ से प्रतापगढ़ होते हुये प्रयागराज तक माननीय उच्च न्यायालय में वादकारियों की सुविधा हेतु प्रातःकालीन तथा प्रयागराज से गौरागढ़ तक सायंकालीन परिवहन निगम की बस सेवा का संचालन करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

डा0 मान सिंह यादव
3

3-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि माह जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक के बीच प्रदेश में श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय के अन्तर्गत कितने रजिस्ट्रेशन हुये हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन
मंत्री

(ख) उक्त रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री भीमराव अम्बेडकर
4

4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सन्तकबीर नगर, पो0-बनियावारी के ग्राम-दुधरा में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित कोटे की दुकानों में गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर को वहां के निवासियों द्वारा रजिस्टर्ड डाक एवं शपथ-पत्र सहित, दिनांक 15 जून, 2022 को प्रेषित की गयी थी, प्राप्त हुयी हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र पर जन शिकायतों के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(ग) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर
5

5-[अन्तरित]

श्री भीमराव अम्बेडकर
6

6-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं ?

कारागार राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो जेलवार कैदियों की क्षमता व उसमें वर्तमान संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या अतिरिक्त कैदियों के लिये अन्यत्र जेल की व्यवस्था करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
7

7-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सरकारी और निजी क्षेत्र में पुल, सड़क, स्कूल, सरकारी कार्यालय एवं निजी भवनों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत श्रम कर के नाम पर दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है ?

श्रम एवं सेवायोजन
मंत्री

(ख) उक्त धनराशि में से किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके बच्चों को कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गयीं तथा उस पर कितना धन व्यय किया गया ?

(ग) क्या उक्त की विस्तृत आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री भीमराव अम्बेडकर

8

8-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव से होते हुये बांगरमऊ एवं हरदोई रोड पर ओवर लोड ट्रक चलते हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या वे ट्रक कानपुर-लखनऊ मुख्य मार्ग पर टोल-टैक्स के कारण इस मार्ग का प्रयोग करते हैं ?

(ग) क्या जनहित में इस समस्या का हल निकालने की व्यवस्था करायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर

9

9-[अन्तरित]

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)



नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-मझगवां के ग्राम-रफियाबाद में हेतराम के घर से रामपाल जाटव के घर तक लगभग-100 मी0 तथा गैनी बरेली रोड से हरवीन की चक्की तक लगभग-70 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-रफियाबाद, विकास खण्ड-मझगवां, जनपद-बरेली के निवासी हैं। हमारे गांव में श्री हेतराम के घर से श्री रामपाल जाटव के घर तक गैनी बरेली रोड से श्री हरवीन की चक्की तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जबकि जिला स्तर पर धन की उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-रफियाबाद में श्री हेतराम के घर से श्री रामपाल जाटव के घर तक लगभग-100 मीटर सी0सी0 रोड तथा गैनी बरेली रोड से श्री हरवीन की चक्की तक लगभग-70 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड-आलमपुर जाफराबाद के ग्राम-विछुरैया में श्मशान घाट की चहारदीवारी व दसवां स्थल पर एक कमरे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-विछुरैया के निवासी हैं। हमारे ग्राम-विछुरैया में श्मशान भूमि की सुरक्षा हेतु कोई दीवार तथा बैठने हेतु कोई कमरा भी नहीं बना है। श्मशान घाट की चहारदीवारी न होने के कारण आवारा पशुओं द्वारा दुर्घटना होने का भय बना रहता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-विछुरैया में श्मशान घाट की चहारदीवारी तथा बैठने हेतु एक कमरे का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-आसपुर देवसरा के ग्राम सभा-पिपरी मतकरपुर में पट्टी आमपुर रोड के प्राइमरी पाठशाला (पिपरी मतकरपुर) से होते हुये श्री अशोक श्रीवास्तव के घर के आगे तक लगभग-800 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम सभा-पिपरी मतकरपुर के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा-पिपरी मतकरपुर में पट्टी आमपुर रोड के प्राइमरी पाठशाला (पिपरी मतकरपुर) से होते हुये श्री अशोक श्रीवास्तव के घर

के आगे तक सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। सम्पर्क मार्ग की दूरी लगभग-800 मीटर है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-गौरा के ग्राम सभा-भीट में भीट दुबे चौराहे से भीट बिरौरा बस्ती से होते हुये बड़ी नहर तक लगभग-900 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम सभा-भीट के विकास खण्ड-गौरा, जनपद-प्रतापगढ़ के निवासी हैं। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा-भीट में भीट दुबे चौराहे सम्पर्क मार्ग से भीट बिरौरा बस्ती से होते हुये बड़ी नहर तक सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा-भीट में भीट दुबे चौराहे से भीट बिरौरा बस्ती से होते हुये बड़ी नहर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-फूलबेहड़, ग्राम सभा-ज्ञानपुर में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब ग्रामवासी ग्राम सभा-ज्ञानपुर के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा में कोई अन्त्येष्टि स्थल नहीं है। अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने हेतु प्रार्थीगण पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोहम्मदी के ग्राम-बरखेरा खुर्द में गांव के दक्षिण-पूर्व में छोआ (नाला) पर एक बड़ी पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम ग्रामवासी ग्राम-बरखेरा खुर्द के विकास खण्ड-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। हमारे गांव के दक्षिण-पूर्व में छोआ (नाला) पर एक बड़ी पुलिया का निर्माण कराये जाने हेतु प्रार्थीगण कई वर्षों से प्रयासरत हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि गांव के दक्षिण-पूर्व छोआ (नाला) पर एक बड़ी पुलिया का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत तहसील-मोहनलालगंज, विकास खण्ड-गोसाईगंज के ग्राम-माढ़रमऊ कला में चक गजरिया डेयरी फार्म की बाउण्डरी के बगल से होते हुये सुल्तानपुर मार्ग, हसनपुर खेवली को जाने वाले मार्ग पर लगभग 1500 मीटर डामरीकरण सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-माढ़रमऊ कला, विकास खण्ड-गोसाईगंज, तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। हमारे गांव माढ़रमऊ कला में चक गजरिया डेयरी फार्म की बाउण्डरी से होते हुये सुल्तानपुर मार्ग, हसनपुर खेवली का सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जिसकी दूरी लगभग 1500 मीटर है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है। हम सभी ग्रामवासी आपका सदैव आभारी रहेंगे।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत तहसील-मोहनलालगंज, विकास खण्ड-गोसाईगंज के ग्राम-माढ़रमऊ कला में चक गजरिया से शिवा पब्लिक स्कूल तक लगभग 400 मीटर डामरीकरण/सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-विछुरैया के निवासी हैं। हमारे गांव में चक गजरिया से शिवा पब्लिक स्कूल तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। ग्रामवासियों को वाहन से चलना तो दूर पैदल चलने में भी भारी कठिनाई होती है। उक्त सड़क की दूरी लगभग 400 मीटर है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-इटावा के अन्तर्गत विकास खण्ड-भरथना, ग्राम-पंचायत-अकबरपुर में श्री ज्ञान सिंह के घर से महामाई मंदिर तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-अकबरपुर के विकास खण्ड-भरथना, जनपद-इटावा के निवासी हैं। हमारे गांव अकबरपुर में ज्ञान सिंह के घर से महामाई मन्दिर तक कच्चा रास्ता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-अकबरपुर में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
12 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ट'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-इटावा के अन्तर्गत विकास खण्ड-महेवा, ग्राम-पंचायत-कर्वा बुजुर्ग के ग्राम-परसुपूरा में श्री राजपाल के घर से मांटेसरी स्कूल तक लगभग 150 मीटर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-कर्वा बुजुर्ग के ब्लाक-महेवा, जनपद इटावा के निवासी हैं। ग्राम पंचायत के परसुपूरा में श्री राजपाल के घर से मांटेसरी स्कूल तक कच्चा रास्ता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-परसुपूरा में सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
14 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ठ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-झांसी के अन्तर्गत अंजनी माता मन्दिर, उन्नाव गेट से हाइवे रोड के पास श्री गंगाराम प्रजापति के मकान से श्री अजय केरोबिन, श्री मानवेन्द्र पटेल व राजकुमार घोष के मकान तक विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी झांसी बिहार, हाइवे रोड के निवासी हैं। हमारे गांव के श्री गंगाराम प्रजापति के मकान से श्री अजय केरोबिन, श्री मानवेन्द्र पटेल व राजकुमार घोष के मकान तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि अंजनी माता मन्दिर, उन्नाव गेट, हाइवे रोड के निवासियों के गांव में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-झांसी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-खडौबा में विवाह घर बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-खडौबा, जनपद-झांसी के निवासी हैं। हमारे गांव खडौबा में शादी (विवाह) के समय लोगों को काफी परेशानी होती है। श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि ग्राम पंचायत-खडौबा में विवाह घर बनाया जाना अति आवश्यक है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-खडौबा में एक विवाह घर बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ढ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, पोस्ट-कौथा के ग्राम-सरांय जोगा में श्री सफी मोहम्मद के घर से श्री कृष्ण प्रजापति के घर तक लगभग-400 मीटर नाली बनवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-सरांय जोगा के निवासी हैं। हमारे ग्राम-सरांय जोगा में श्री सफी मोहम्मद के घर से श्री कृष्ण प्रजापति के घर तक नाली अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। गांव में नाली का निर्माण न होने के कारण सड़क पर गन्दा पानी भरा रहता है तथा तरह-तरह की बीमारियां गांव में फैलने का निरन्तर खतरा बना रहता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-सरांय जोगा में श्री सफी मोहम्मद के घर से श्री कृष्ण प्रजापति के घर तक नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ण'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मितौली के ग्राम-मोहम्मदपुर में नगरा सम्पर्क मार्ग से रवंता देशु माडिया रोड तक लगभग 900 मीटर सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-मोहम्मदपुर के विकास खण्ड-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे गांव में नगरा सम्पर्क मार्ग से रवंता देशु माडिया रोड तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। जिससे वहाँ के स्थानीय निवासियों को सड़क मार्ग पर चलने से काफी असुविधा होती है। जबकि जिला सतर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'त'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत बौद्ध मन्दिर, छोटी जुगौली, गौतमपुरी में श्री नन्दराम यादव के घर से लेकर श्री संजीव कुमार व श्री प्रमोद कुमार के घर तक पानी पीने हेतु पाइप लाइन डलवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण आपके संज्ञान में यह लाना चाहते हैं कि छोटी जुगौली, गौतमपुरी में पानी पीने हेतु पाइप लाइन नहीं डाली गयी है। जिससे वहाँ के स्थानीय ग्रामवासियों को पीने के पानी की पाइप

लाइन न होने के कारण अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री नन्दराम यादव के घर से लेकर श्री संजीव कुमार व श्री प्रमोद कुमार के घर तक पानी पीने हेतु पाइप लाइन नहीं है। जबकि जिला सतर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि बौद्ध मन्दिर, छोटी जुगौली, गौतमपुरी में श्री नन्दराम यादव के घर से लेकर श्री संजीव कुमार व श्री प्रमोद कुमार के घर तक लगभग 150 मीटर पानी पीने हेतु पाइप लाइन डलवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'थ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-कानपुर के अन्तर्गत तहसील-सिकन्दरा, विकास खण्ड-राजपुर के ग्राम-इंगवारा में श्री शिवबाबू कटिहार/शंकर कटिहार के घर के सामने बने कुंआ से होते हुये श्री वीर सिंह के घर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-इंगवारा, विकास खण्ड-राजपुर, जनपद-कानपुर देहात के निवासी हैं। हमारे गांव में श्री शिवबाबू कटिहार/शंकर कटिहार के घर के सामने बने कुंआ से होते हुये श्री वीर सिंह के घर तक मार्ग कच्चा है। जबकि जिला सतर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'द'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत ब्लाक-बीघापुर के ग्राम-इन्देमऊ में राजकीय नलकूप लगाये जाने के संबंध में।
महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-इन्देमऊ के ब्लाक-बीघापुर, जनपद-उन्नाव के निवासी हैं। हमारे ग्राम-इन्देमऊ में सिंचाई हेतु कोई राजकीय नलकूप नहीं है। गांव में खेत की सिंचाई के समय बोरिंग से पानी बहुत कम आता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-इन्देमऊ के ब्लाक-बीघापुर, जनपद-उन्नाव में राजकीय नलकूप लगाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ध'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ में न्यू नंदी विहार कालोनी, सराय शेख, चिनहट में श्री सत्येन्द्र सिंह के मकान से दुर्गा माता मंदिर तक लगभग 300 मी0 इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी न्यू नंदी विहार कालोनी, सराय शेख, चिनहट के निवासी हैं। हमारे कालोनी में न तो रोड बनी है और न ही जल निकासी हेतु नाली बनी है। जिससे बारिश के समय वहां के

निवासियों को घर से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि अंजनी न्यू नंदी विहार कालोनी में श्री सत्येन्द्र सिंह के मकान से दुर्गा माता मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड तथा जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'न'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-कानपुर नगर के अन्तर्गत थाना-गुजैनी, मोहल्ला-जरौली फेस-2 (नियर सूबेदार स्कूल) में 05 विद्युत पोल लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण मोहल्ला-जरौली फेस-2, जनपद-कानपुर नगर के निवासी हैं। हमारे मोहल्ला ने 10-15 वर्ष पूर्व विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा विद्युत बिल की पूर्ति भी हो रही है। विद्युत विभाग के लापरवाही के कारण आज तक विद्युत पोल कालोनी में नहीं लगा। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि मोहल्ला-जरौली फेस-2 (नियर सूबेदार स्कूल) में 05 विद्युत पोल लगाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'प'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत परगना-बिजनौर के ग्राम-अशरफ नगर में हाईटेंशन विद्युत लाइन हटाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम सब ग्रामवासी ग्राम-अशरफ नगर के परगना-बिजनौर, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। हमारे गांव के ऊपर से विद्युत विभाग की हाईटेंशन लाइन गई है। जिससे कभी भी आकस्मिक दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि गांव के ऊपर से विद्युत विभाग की हाईटेंशन लाइन को हटाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।
